पीठः- राजेंद्र नाथ मित्तल, न्यायाधिपति

फूल सिंह और अन्य,- अपीलार्थी

बनाम

राम सरूप और अन्य,- प्रत्यर्थी

नियमित द्वितीय अपील संख्या 1096 of 1975

2 सितंबर, 1983

परिसीमा अधिनियम (36 of 1963)- धारा 6(1)- पिता द्वारा हस्तांतरित की गई पैतृक संपत्ति- पुरुष बालक जिसका गर्भ धारण हस्तांतरण की तारीख को हो गया था लेकिन उसका जन्म नहीं हुआ था- ऐसा बालक- क्या हस्तांतरण को चुनौती देने का हकदार है और परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 6(1) के लाभ का दावा करने का हकदार है- हस्तांतरण के पश्चात् पैदा हुआ अन्य पुत्र- ऐसा पुत्र- क्या हस्तांतरण को चुनौती देने का हकदार है।

अभिनिर्धारित किया गया कि एक पुत्र जो अपने पिता द्वारा किए गए हस्तांतरण के समय भ्रूण में था, अपने जन्म के पश्चात् हस्तांतरण को चुनौती दे सकता है, परन्तु परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 6(1) के लाभ का हकदार नहीं है क्योंकि उसे अव्यस्क नहीं माना जा सकता।

अभिनिर्धारित किया गया कि यदि किसी विक्रेता का पुत्र हस्तांतरण की तारीख को जीवित है और अन्य पुत्र हस्तांतरण के पश्चात् पैदा होता है, तो बाद वाला पुत्र उसी अवधि के भीतर हस्तांतरण को चुनौती देने का हकदार है, जिसके भीतर वो पुत्र, जो हस्तांतरण की तारीख को अस्तित्व में था, उसे चुनौती देने का हकदार है।

(जिम्मन 9)

यह नियमित द्वितीय अपील श्री आई. पी. वशिष्ठ, वरिष्ठ उप-न्यायाधीश, वर्धित अपीलीय शक्तियों सहित,भिवानी के न्यायालय की डिक्री दिनांक 19 मई, 1975 के विरुद्ध दायर की गई है, जिसमें श्री आर. डी. अनेजा, उप-न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, चरखी दादरी की डिक्री दिनांक 4 दिसंबर, 1973 की पुष्टि की गई है, जिसमें वादीगण के वाद को खारिज किया गया और पक्षकारों को अपना खर्च वहन करने के लिए छोड़ा गया।

अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता जी. एस. ढिल्लन।

प्रत्यर्थी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एन. सी. जैन और अधिवक्ता अरुण जैन।

निर्णय

राजेंद्र नाथ मित्तल, न्यायाधिपति

(1) वादी द्वारा यह द्वितीय अपील वरिष्ठ उप-न्यायाधीश, भिवानी के निर्णय और डिक्री दिनांक 19 मई, 1975 के विरुद्ध दायर की गई है।

(2) तथ्यों को समझने के लिए, निम्नलिखित वंशावली तालिका सहायक होगीः —

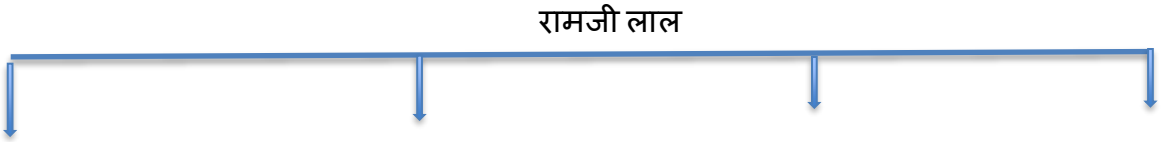

फुल सिंह	हजारी(अव्यस्क)	मोहिंदर(अव्यस्क)	रोहतास
(वादी संख्या 1)	(वादी संख्या 2)	(वादी संख्या 3)	(प्रतिवादी संख्या 4)

(3) संक्षेप में, तथ्य यह है कि प्रथागत कानून द्वारा शासित जाट रामजी लाल ने विवादित भूमि विक्रय-विलेख दिनांक 29 दिसंबर, 1953 के ज़रिए 4,000 रुपए प्रतिफल में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को बेच दी थी। विक्रय की तारीख पर, रोहतास प्रतिवादी संख्या 4 का जन्म हुआ था और फुल सिंह वादी संख्या 1 भ्रूण में था, जिसका जन्म बाद में 12 अप्रैल, 1954 को हुआ था। हजारी और मोहिंदर, वादी संख्या 2 और

3, विक्रय के बहुत बाद पैदा हुए थे। वादी ने इस आधार पर विक्रय को चुनौती देते हुए एक सामान्य घोषणात्मक दावा दायर किया कि भूमि उनके लिए पैतृक थी और विक्रय बिना किसी प्रतिफल और कानूनी आवश्यकता के था।

(4) प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा वाद का विरोध किया गया जिन्होंने वादी के आरोपों का खण्डन किया और अन्य बातों के साथ-साथ अभिकथित किया कि भूमि गैर-पैतृक थी और विक्रय प्रतिफल और कानूनी आवश्यकता के लिए था। उन्होंने आगे अभिकथित किया कि मुकदमा परिसीमा की अवधि के भीतर नहीं था।

(5) विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पक्षकार प्रथा द्वारा शासित थे, कि भूमि पैतृक थी और विक्रय बिना प्रतिफल और कानूनी आवश्यकता के था। हालाँकि, न्यायालय ने माना कि मुकदमा परिसीमा की अवधि के भीतर नहीं था। परिसीमा के विवाद्यक पर निष्कर्ष को देखते हुए, न्यायालय ने वाद को खारिज कर दिया। वादीगण द्वारा दायर अपील में, उठाया गया एकमात्र प्रश्न परिसीमा का था। अपीलीय न्यायालय ने उक्त प्रश्न पर विचारण न्यायालय के निष्कर्ष की पुष्टि की और अपील को खारिज कर दिया। वादीगण इस न्यायालय में द्वितीय अपील में आए हैं।

(6) निर्धारण के लिए जो एकमात्र प्रश्न जो उत्पन्न होता है वह यह है कि क्या फुल सिंह, अपीलार्थी संख्या 1, जो अपनी मां के गर्भ में था और हजारी और मोहिंदर, जो विक्रय के पश्चात् पैदा हुए थे, परिसीमा अधिनियम की धारा 6 के लाभ के हकदार हैं।

(7) श्री ढिल्लन ने जोरदार तर्क दिया है कि उक्त धारा 6 वर्तमान मामले पर लागू होती है क्योंकि विक्रय की तारीख को फूल सिंह गर्भ में था और इसलिए, कानूनी रूप से उसे अव्यस्क माना जाएगा और हजारी और मोहिंदर, जो बाद में पैदा हुए थे, उसी परिसीमा की अवधि के हकदार होंगे जिसके लिए फूल सिंह

हकदार था। अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने हरनाम सिंह और अन्य बनाम अज़ीज़ और अन्य[1] और हरि सिंह प्रेम बनाम मोती राम[2] के निर्णयों पर भरोसा किया है।

(8) मैंने विद्वान अधिवक्ता के तर्क पर उचित विचार किया है, लेकिन इसे स्वीकार करने में अपनी असमर्थता पर खेद है। धारा 6 की उपधारा (1) में अन्य बातों के साथ-साथ यह विहित किया गया है कि जहां वाद दायर करने का हकदार कोई व्यक्ति, उस समय जब से कि निर्धारित अवधि की गणना की जानी है, एक अव्यस्क है, वह विकलांगता समाप्त होने के पश्चात् उसी अवधि के भीतर वाद दायर कर सकता है, जैसा कि अनुसूची के तीसरे कॉलम में इसके लिए निर्दिष्ट समय से अन्यथा अनुमति दी गई होगी।

(9) अब यह प्रश्न देखा जाना चाहिए कि क्या गर्भ में मौजूद एक बच्चे को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए अव्यस्क माना जाता है। यह प्रश्न पूर्व में ही निर्धारित किया जा चुका है। मुहम्मद खान बनाम अहमद खान और अन्य (3) और फर्म चुनी लाल राली राम बनाम अल्ताज-उल-रहमान के मामलों में लाहौर उच्च न्यायालय की दो खंड पीठों द्वारा इस पर विचार किया गया है। मुहम्मद खान(उपर्युक्त) के मामले में मुख्य न्यायाधिपति शादी लाल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि एक माँ की गर्भ में मौजूद बच्चे को जीवित माना जाता है, और उस बच्चे का अपने पिता द्वारा किए गए हस्तांतरण पर आपत्ति लेने का अधिकार उसके पैदा होने पर नहीं, अपितु उसके गर्भ धारण से ही उत्पन्न होता है। आगे यह कहा गया कि जहां किसी व्यक्ति को भ्रूण में होने पर ही वाद कारण प्राप्त होता है, उसे धारा 6 का लाभ नहीं मिल सकता है क्योंकि उसे गर्भ धारण की तारीख को अस्तित्व में अव्यस्क नहीं माना जा सकता है। इस मामले का पालन फर्म चुनी लाल राली राम(उपर्युक्त) के मामले में किया गया था। विद्वत पीठ की निम्नलिखित टिप्पणियों को लाभ के साथ पढ़ा जा सकता हैः -

"परिसीमा अधिनियम की धारा 6 के तहत, एक अव्यस्क को समय का विस्तार मिल सकता है, अगर वह उस समय कानूनी विकलांगता से ग्रसित है, जब उसको बाद कारण उत्पन्न होता है।.....

---

[1] A.I.R. 1938 Lahore 1.
[2] A.I.R. 1939 Lahore 196.

परिसीमा की अवधि विलेख के निष्पादन की तारीख से चलती है न कि वादी के गर्भ धारण की तारीख से। कानून की कुछ प्रणालियों के तहत, जैसे कि हिंदू कानून के तहत, गर्भ में मौजूद एक बच्चा कानूनी कल्पना द्वारा और कुछ उद्देश्यों के लिए इस अर्थ में पैदा हुआ माना जाता है कि उसे अपने पिता की संपत्ति में विरासत का अधिकार है, लेकिन ऐसी कल्पना परिसीमा के कानून द्वारा निर्धारित नियम को नियंत्रित नहीं करती है।"

मैं उपर्युक्त टिप्पणियों से सम्मानपूर्वक सहमत हूं। इसलिए, यह सामने आता है कि एक पुत्र, जो अपने पिता द्वारा किए गए हस्तांतरण के समय भ्रूण में था, अपने जन्म के पश्चात् उसे चुनौती दे सकता है, लेकिन वह परिसीमा अधिनियम की धारा 6 के लाभ का हकदार नहीं है क्योंकि उसे अव्यस्क नहीं माना जा सकता है। यह सुस्थापित है कि यदि किसी विक्रेता का बेटा हस्तांतरण की तारीख को जीवित है और अलगाव के बाद दूसरा बेटा पैदा होता है, तो बाद वाला भी उसी सीमा के भीतर अलगाव को चुनौती देने का हकदार है, जिसके भीतर वह बेटा जो अलगाव की तारीख को अस्तित्व में था, ऐसा करने का हकदार है।

(10) वर्तमान मामले में, फूल सिंह विक्रय की तारीख को पैदा नहीं हुआ था और इसलिए, वह परिसीमा अधिनियम की धारा 6 के लाभ का हकदार नहीं है। वह पंजाब परिसीमा (प्रथा) अधिनियम, 1920 के अनुच्छेद 1 के तहत विक्रय की तारीख से छह साल के भीतर विक्रय को चुनौती देने के लिए दावा दायर कर सकता है। हजारी और मोहिंदर भी उक्त अवधि के भीतर उस उद्देश्य के लिए दावा दायर कर सकते थे। श्री ढिल्लन द्वारा वर्णित दोनों मामले अलग-अलग हैं। उन मामलों में से किसी में भी, हस्तांतरण को उन बेटों द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी जो हस्तांतरण की तारीख को भ्रूण में थे। मेरे विचार में, श्री ढिल्लन उक्त मामलों के अभिनिर्णय से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकते।

(11) उपर्युक्त कारणों से, मुझे अपील में कोई योग्यता नहीं मिलती है और मैं इसे खारिज करता हूं। खर्चे के बारे में कोई आदेश नहीं।

अस्वीकरण :-

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय अपीलार्थी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

ऋषभ अग्रवाल
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी, हरियाणा।
UID NO.:- HR0675